



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **साजिद कुरैशी पुत्र बहार अहमद निवासी कमेला कालोनी निकट शकुरी मस्जिद थाना मण्डी स0पुर** सम्बन्धित वाद सं0 – 2070/21 मु0अ0सं0 416/21 धारा 8/20 एनडीपीएस चालानी थाना को0मंडी नियत दिनांक 09.10.2024 सम्बन्धित न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सहारनपुर को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साजिद कुरैशी पुत्र बहार अहमद निवासी कमेला कालोनी निकट शकुरी मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गर्भवती महिला को जान से मारने की नीयत से चाकू मारकर घायल करने के मामलों में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.07.2024 को वादी की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण शालू उर्फ शाहनवाज पुत्र अय्याज खान निवासी मो0 हाकमशाह मछियारो वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व अन्य साथी द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की पत्नी को जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 205/24 धारा 332सी/109 बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया था। दिनांक 16.07.2024 को अभियुक्तगण 1. समीर पुत्र रहीश निवासी मौहम्मदी मस्जिद हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर व 2. जुबैर पुत्र गुलजार निवासी ग्रीन पार्क थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त शालू उर्फ शाहनवाज पुत्र अय्याज खान निवासी मो0 हाकमशाह मछियारो वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मौ0 हाकमशाह मछियारो वाली गली से नाजायज रामपुरी चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शालू उर्फ शाहनवाज पुत्र अय्याज खान निवासी मो0 हाकमशाह मछियारो वाली गली थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभि0 शालू उर्फ शाहनवाज

- मु0अ0सं0 231/19 धारा 307 भादवि थाना बेहट
- मु0अ0सं0 233/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट
- मु0अ0सं0 196/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
- मु0अ0सं0 435/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
- मु0अ0सं0 205/24 धारा 109/332सी बीएनएस 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- है0का0 388 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- का0 1215 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.09.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण 1. मेहन्दी उर्फ जुल्फान पुत्र अली शेर निवासी ग्राम गदरहेड़ी थाना सरसावा जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 200/19 धारा 125(3) सीआरपीसी में, 2. कृष्ण पुत्र नीटू निवासी ग्राम सलूनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर सम्बन्धित केस नम्बर 1407/22 धारा 354 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात में, 3. जितेन्द्र पुत्र यशपाल नि0 ग्राम पिलखनी थाना सरसावा सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 282/24 मु0अ0स0 36/1994 धारा 506 भादवी में थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मेहन्दी उर्फ जुल्फान पुत्र अली शेर निवासी ग्राम गदरहेड़ी थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. कृष्ण पुत्र नीटू निवासी ग्राम सलूनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर
3. जितेन्द्र पुत्र यशपाल नि0 ग्राम पिलखनी थाना सरसावा सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 282/24 मु0अ0स0 36/1994 धारा 506 भादवी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
3. है0का0 1050 नितिन थाना सरसावा सहारनपुर
4. का0 1497 मोनू थाना सरसावा सहारनपुर
2. का0 894 अंकित थाना सरसावा सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बेहट पुलिस द्वारा हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.24 को वादी श्री समय सिंह पुत्र बनारसी निवासी ग्राम इस्माईलपुर अम्बेहटा थाना बेहट जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र नरेश निवासी ग्राम इस्माईलपुर अम्बेहटा थाना बेहट जिला सहारनपुर आदि 04 अन्य व्यक्तियों द्वारा वादी की बुआ के लडके बबलू के सिर में लोहे की गरारी से वार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 291/24 धारा 103 (1) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर टीम गठित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.09.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त दिलीप पुत्र नरेश निवासी ग्राम इस्माईलपुर अम्बेहटा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को गन्देवड नहर रायपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त दिलीप ने पूछताछ पर बताया किया हमारा बबलू के साथ सरकारी नल पर पानी भरने को लेकर विवाद हो गया था। जिस कारण से मैंने अपने साथी जितेन्द्र के साथ बबलू के सिर में लोहे की गरारी मार दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

अभियुक्त दिलीप पुत्र नरेश निवासी ग्राम इस्माईलपुर अम्बेहटा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 538 प्रदीप हुड्डा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
3. का0 1223 कुलदीप सिंह थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. का0 185 हर्ष सिंह थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर



दिनांक: 30.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छूरी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.09.2024 को वादी श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूराम नि० ग्राम जलालपुरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल नं० UP11AN4153 को चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 339/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना व सीसीटीवी फुटेज आदि से अभियुक्तगण 1. मोहित पुत्र किले सिंह व 2. सुमित पुत्र ऋषिपाल नि० ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर के नाम प्रकाश में आये हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा लूट/वाहन चोरी/नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त सुमित पुत्र ऋषिपाल नि० ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को ग्राम शेखपुरा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक लोहे की छूरी को बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त सुमित उपरोक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 342/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयान:- अभियुक्त सुमित उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कक्षा 8 वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। मैं व मेरा साथी मोहित जो हमारे ही गाँव शेखपुरा का रहने वाला है हम दोनो ने दिनांक 28.09.2024 को सरकारी अस्पताल नकुड़ गये थे वहाँ सरकारी अस्पताल परिसर में खड़ी एक मोटरसाइकिल सुपर स्पेलण्डर को चोरी किया था और कस्बा नकुड़ होते अपने गाँव आ गये थे मोटर साइकिल मेरा साथी मोहित चला रहा था मैं उसके पीछे बैठा था। मोहित मोटर साइकिल लेकर हरियाणा गया है मोहित कह रहा था कि मोटर साइकिल बेचकर जो रुपये मिलेगे दोनो आधा आधा बाँट लेगे मोहित अब तक मोटरसाइकिल बेचकर वापस नहीं आया है।

अभियुक्त का नाम व पता

सुमित पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

01 लोहे की छूरी

अभियुक्त सुमित उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 505/18 धारा 3/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. मु०अ०सं० 339/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 342/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है०का० 558 संदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. हो०गा० 1788 धर्मसिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक-30.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मात्र 08 घण्टे में बुजुर्ग महिला से पर्स लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए शातिर लूटेरा/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया पर्स, 2000/- नकद व घटना में प्रयुक्त स्कूटी

बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.09.2024 को वादी श्री सुरेन्द्र सेठी पुत्र स्व० श्री मंगतराम निवासी हकीकत नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की सास से पर्स छीनकर भाग जाने, 2500/- रुपये नकद व एक चांदी का कंगन आदि सामान लूट कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 552/24 धारा 309(4) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर मात्र 08 घण्टे में बुजुर्ग महिला से पर्स लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर लूटेरा/अभियुक्त तैय्यब उर्फ रहमान पुत्र अब्दूल सलाम नि० मुफ्ती मुजफ्फरहसन कालौनी पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को मिशन कम्पाउण्ड मोड रेलवे कालौनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी (सुजुकी एसेज 125 स्कूटर रंग नीला रजि० UP 11CR 3348), 2000/- रुपये नकद, 01 पर्स व 01 कड़ा सफेद धातु बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त को अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं नशे का आदी हूँ और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए कल दिन में मैं एक महिला का पर्स छीन लिया था उसमें से मुझे 2500/- रुपये, एक रूमाल व 01 चांदी का कड़ा मिला था। जो पैसे पर्स से मिले थे उनमें से 500/- रुपये मैंने अपनी नशे की लत पूरा करने में खर्च कर दिये। बाकी रुपये और सामान आपको मेरे पास से मिल गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तैय्यब उर्फ रहमान पुत्र अब्दूल सलाम नि० मुफ्ती मुजफ्फरहसन कालौनी पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

अभियुक्त तैय्यब उर्फ रहमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 552/2024 धारा 309(4) थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- 211/2024 धारा 304(2)/317(2) थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
- 224/2011 धारा 188/269/270/54/ भादवि 3 महामारी अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
- 383/2023 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- 342/2024 धारा 406/420 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
- 343/2023 धारा 8/21/60 स्वापक औषधि ओर मनप्रभावी पदार्थ थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 01 स्कूटी (घटना मे प्रयुक्त रजि० नं-0 UP 11CR 3348)
- 2000/- रुपये
- 01 कडा (सफेद धातु)
- 01 पर्स

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० श्री सुरेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. का० 266 धीरज थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।
3. का० 2508 मयंक राणा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।
4. का० 1552 रोहित थाना सदर बाजार सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01

ई-रिक्शा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24/09/2024 को वादी श्री लक्ष्मण चौहान पुत्र धनीराम निवासी ग्राम सकरोर मोजा थाना परसपुर जनपद गोंडा हाल पता संसार सिंह यादव का मकान ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर की ई-रिक्शा को अज्ञात चोर द्वारा मछली पुल के पास राघव फर्नीचर के सामने बोमन्जी रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर से चोरी कर लिया गया था जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29/09/2024 को द्वारा थाना को0 नगर पर उपस्थित आकर तहरीर दी गयी जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 243/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व ई-रिक्शा की बरामदगी हेतु सम्बन्धित को आवश्यक आदेश-निर्देश दिए गये इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30/09/2024 कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्तगणों 1.सावेज पुत्र इमरान पठान उर्फ इकराम निवासी एकता कालोनी स्कूल वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2.शादाब पुत्र सलीम निवासी 62 फुटा रोड जोगियो वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 3.अशरफ पुत्र अमानुल्ला खाँ निवासी इन्द्राचौक मन्सूर कालोनी निकट अलीशान पैलेस थाना मण्डी सहारनपुर को सपना पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 ई-रिक्शा बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार तीनों अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान तीनों ने एक राय होकर बताया कि आज जिस ईरिक्शा के साथ हम तीनों पकड़े गये हैं उसे हम तीनों ने अपने एक अन्य चौथे साथी के साथ मिलकर दिनांक 24/09/24 को मछली पुल के पास राघव फर्नीचर के सामने से चोरी की थी। जिसे काफी समय से बचने की फिराक में थे पर अच्छे दाम न मिलने के कारण अभी तक बेच नहीं पाए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. सावेज पुत्र इमरान पठान उर्फ इकराम निवासी एकता कालोनी स्कूल वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. शादाब पुत्र सलीम निवासी 62 फुटा रोड जोगियो वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. अशरफ पुत्र अमानुल्ला खाँ निवासी इन्द्राचौक मन्सूर कालोनी निकट अलीशान पैलेस थाना मण्डी सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सावेज:-

1. मु0अ0सं0- 31/24 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 40/24 धारा 392/411 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण: -

01 ई-रिक्शा (चोरी की)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कँवरपाल सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. कां0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. का0 1320 विकास मान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:30-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.07.2024 को वादी श्री फरमान पुत्र अशरफ निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त 1.रितिक पुत्र राजीव निवासी ग्राम सलूनी थाना सरसावां सहारनपुर व 01 अन्य व्यक्ति द्वारा वादी के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से फायर कर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0-163/2024 धारा- 109(1)/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.09.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रितिक पुत्र राजीव कुमार निवासी ग्राम सलूनी थाना सरसावां सहारनपुर को तेलीपुरा पेट्रोमपम्प बन्द पडी दुकान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त रितिक ने पूछताछ पर बताया किया फरमान से विवाद हो गया था। जिस कारण से मैंने अपने साथी के साथ मिलकर फायर कर दिया था। आसपास के लोगों को आता देखकर हम दोनों भाग गये थे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रितिक:-

1. मु0अ0सं0- 257/2020 धारा-379/411/420/467/468/471 भादवि थाना सरसावां
2. मु0अ0सं0-258/2020 धारा-379/411/420/468/467/471 भादवि सरसावां
3. मु0अ0सं0-226/2022 धारा-323/504/506 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द) एससी एसटी एक्ट सरसावां
4. मु0अ0सं0-227/2022 धारा-414 भादवि थाना सरसावां सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0-228/2022 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावां सहारनपुर
6. मु0अ0सं0-125/2023 धारा-307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावां

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

अभियुक्त रितिक पुत्र राजीव कुमार निवासी ग्राम सलूनी थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर
3. का0 1759 सावन तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर।